''आवश्यकता है, एक ठोस पशुधन नीति की''

–निलेश देसाई

''सर, आप कहते हो कि हम पशुपालन के लिए अपको ऋण देंगे लेकिन हमारे गांव में न पशुओं के निकलने की जगह है और न ही चराने की और बीमार पशु का इलाज करने के लिए भी 20 कि.मी. तक कोई व्यवस्था नहीं है।'' – यह व्यथा है सिरमोर ब्लाक सीधी की कमला बाई, निवास डिंडोरी के गणेश, बिछुआ छिन्दवाड़ा के शंकरसिंह एवं पेटलावद झाबुआ के रामचन्द्र एवं हरिराम भाई जैसे प्रदेश के हजारों पशुपालकों की। विगत दिनों भोपाल में प्रदेश भर के पशुपालकों का सम्मेलन हुआ जिसमें प्रदेश भर के पशुपालकों ने पशुपालन क्षेत्र में बढ़ रही दिक्कतों पर चिन्ता व्यक्त की। पशुपालन के क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने का प्रदेश स्तर पर यह संभवतः यह पहला अवसर था। जहां सुदूर गांव के पशुपालकों से लेकर पशुपालन एवं ग्रामीण विकास विभाग के आला अफसर, सामाजिक संगठन एवं राजनेता एक साथ बैठे थे। प्रदेश की सकल आय में पशुधन का योगदान 12 प्रतिशत होने एवं 70 प्रतिशत किसानों के दूध व्यवसाय पर निर्भर होने के बावजुद प्रदेश में पशुधन की कोई ठोस नीति नहीं है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, कृषि की तुलना में पशुधन का योगदान लगातार बढ़ रहा है। पशुपालन व्यवसाय में जानवरों के खानपान पर बहुत कम खर्च होता है और परम्परागत अनुभव के कारण यह व्यवसाय ग्रामीण समाज के लिए सहज ही अपनाने योग्य व्यवसाय है। इस सेक्टर के विकास के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं यथा भोजन, पानी और स्वास्थ्य तथा उन्हें सुनिश्चित करने वाले प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधनों से सम्बन्धित उचित नीतिगत आधार उपलब्ध कराने की बुनियादी जरूरत है। इस सेक्टर को सहयोग को प्रदान कर तथा उपयुक्त नीति के दृष्टिबोध क माध्यम से इसे समाज के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। अनुभव बताता है कि दुग्ध उत्पादन और मुर्गी पालन और सुअर पालन जैसी गतिविधियों में सभी वर्ग के लिए आय कि बेहतर सम्भावनाएं है। अतः पशु–पक्षी पालन एवं संरक्षण के काम को नीतिगत महत्व देना चाहिए।

पशुधन भारत के किसानों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण परम्परागत स्रोत है। गरीबी कम करने में पशुधन का जो योगदान है उसे अब अच्छी तरह समझा जाने लगा है, खासकर अर्द्धशुष्क और शुष्क इलाकों में जहां खेती सीमित होती है। वहां पशुधन आजीविका का खास साधन होता है।

भारत में दुनिया के पशुधन का पांचवा हिस्सा है। भारत की करीब 45 करोड़ छोटी–बड़ी मवेशियां हरे चारे के सीमित क्षेत्र पर निर्भर है। देश में बहुत ज्यादा मवेशियां होने के कारण उपलब्ध जमीन पर उनका दबाव बढ़ गया है। किसान अपनी मवेशियां चराने के लिए मुख्यतः गॉव के चारागाह के रुप में चिन्हित सार्वजनिक जगहों का का उपयोग करते हैं। जनसंख्या और मवेशियों की आबादी बढ़ने के कारण और कुछ गैर टिकाऊ तरीके अपनाये जाने के कारण प्राकृतिक रुप से विकसित इन चारागाहों विशेषकर सार्वजनिक स्थानों में तेजी से कमी आई है और इससे गरीब सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों, खासकर महिलाओं पर गंभीर असर पडा है, क्योंकि वे सदियों से अपनी मवेशियों और अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर रहते है।

सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में पशुधन से संबंधित समस्याओं, पशुधन के विकास की सम्भावनाओं और आय के वैकल्पिक साधन के रूप में पशुधन से जुड़े मुद्दों को नीतिगत स्तर पर पर्याप्त महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में अभी तक पुशधन के समग्र विकास के लिए कोई नीति ही नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व नीति, जल नीति, वन नीति, कृषि नीति, पर्यावरण नीति एवं पूनर्वास नीति में पशुधन के विकास की संभावनाओं की अपेक्षा ज्यादा चुनौतियां मौजूद है।

प्रदेश में राजस्व नीति में वर्णित प्रावधानों, कार्यक्रमों और कदमों के कारण चराहगाह की भूमि जो पूर्व में गांव की सकल जमीन का लगभग 10 से 12 प्रतिशत के आस–पास या उससे अधिक होता था। वर्तमान में घट कर 1.5 से 2 प्रतिशत रह गया है। कही–कहीं तो यह मात्र रेकार्ड में दर्ज है। वास्तव में इससे भी कम भूमि बची है।

मध्यप्रदेश में लगभग 8585 हजार हेक्टर वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चराहगाह विकास हेतु सघन योजना न होने के कारण चारे का सही उत्पादन नहीं हो रहा हैं। यदि गुजरात की तर्ज पर पशुचारे की मांग के आधार पर वन क्षेत्रों में चराहगाह विकास हेतु सघन योजना बनाई जाये तो पशु चारे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

देश भर में रतनजोत की खेती को बढ़ावा देने के कारण चारा पैदा करने वाले इलाके में और कमी होगी। एवं भविष्य में कम चारा पैदा होगा। ऐसी स्थिति में पहले से ही चराहगाह की समस्या वाले क्षेत्र में चारे की दिक्कत और बढ़ेगी। जिसका असर पशुपालन पर पढ़े बगैर नही रहेगा।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में हो रहे अनेक बदलाव भी पशुपालक के लिए चुनौतिया बढ़ा रहे है। कपास के बढ़ते रकबे ने एवं हार्वेस्टर से गेहु की कटाई में पशु चारे की उपलब्धता को घटाया है। इसके अलावा सरकार द्वारा बी.टी.काटन या अन्य जैव संशौधित (जी.एम.) फसलो को प्रोत्साहन देने के कारण पशुपालन क्षेत्र में नई दिक्कतों को आमंत्रित किया जा रहा है। विगत दिनों आंध प्रदेश में बीटी कपास के पोधे खाने से 1600 भेड़ों की मृत्यु होने की पूष्टी हुई है। अतः हानिकारक कृषि तकनिकों एवं पशु के लिए हानिकारक फसलों की खेती एवं प्रदर्शन प्रतिबंधित किये जाने चाहिए।

इस प्रकार पशुपालन की लागत बढ़ी है। जिसके कारण अल्प आय या कम पुंजी पालकों की इस काम में रूची कम हुई है। प्रदेश में पशु उत्पाद महंगे हुए तथा विदेशी बाजार एवं बडे पूंजीपति हावी हुए है। प्रदेश में पशु चिकित्सा की चिन्ताजनक स्थिति ने भी पशुपालन के विस्तार को सीमित किया है। शासकीय चिकित्सा तंत्र की व्यवस्था व उपलब्धता पशुओं की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। वर्तमान में प्रदेश में 22 हजार पशुओं पर एक चिकित्सक उपलब्ध है। जबकि शासकिय मापदण्ड के अनुसार 5 हजार पशुओं पर एक चिकित्सक होना चाहिए। जो चिकित्सा कर्मी उपलब्ध भी है वे भी सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर पशुधन की चिकित्सा करने प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। शासन द्वारा प्रत्येक गांव में ''गौ सेवक'' योजना अवश्य प्रारंभ की है, लेकिन प्रशिक्षण के पश्चात् इन लोगों को किसी भी प्रकार की मान्यता न दिये जाने के कारण यह तंत्र प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में, गांव में परम्परागत दवाओं के जानकार हैं, जो पशु चिकित्सा को कुशलता पूर्वक जानते है, लेकिन शासकीय मान्यता नहीं मिलने के कारण इनके विस्तार में बाधा हो रही है। यदि इन्हें प्रोत्साहित किया जाय तो ये पारम्पारिक जानकार पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हो सकते है। सम्पर्क संस्था ने झाबुआ जिले में ऐसे पारम्परिक जानकारों को प्रशिक्षण देकर इन्हे चिकित्सा किट प्रदान किये है, जो पशु चिकित्सा के लिये उपयोगी साबित हो रहे है। संस्था के इस प्रयोग को विस्तारित किया जा सकता है तथा पशु चिकित्सा के इनके ज्ञान का उपयोग प्रदेश के पशुधन को स्वस्थ व लाभकारी बनाने में किया जा सकता है।

पशुधन विकास के लिए प्रदेश में पशु नस्ल सुधार के नाम पर बडे स्तर पर विदेशी नस्लों का प्रयोग हुआ है। बावजुद इसके इसकी सफलता बहुत सीमित रही है। अतः देशी नस्लों के संवर्धन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीबों की आजीविका के मुख्य साधन पशुधन पर सामुदायिक नियंत्रण को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है।

प्रदेश में लघु सीमान्त किसानों और भूमिहीन परिवारों की सालाना आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग मुर्गी व दूग्ध व्यवसाय से प्राप्त होता है। अकेले मुर्गी पालन सेक्टर से कुल सालाना आमदनी 15 हजार करोड़ रूपये है। इस व्यवसाय से लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ये वे लोग हैं जिसमें अधिकांश गरीब और कम पड़े लिखे लोग है। अतः 20 लाख लोगों की माली हालत को सुधारने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर के सर्वांगीण विकास तथा जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उपयुक्त नीति और नीति आधारित कार्यक्रमों का होना अति आवश्यक है। जिससे पशुधन विकास की ज्यादा सम्भावना हो।

ndesai52@gmail.com